इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 69] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 फरवरी 2013—माघ 25, शक 1934

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2013

क्र. डी-15-5-2003-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 60 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी (सी) नम्बर 19092/2006 में पारित आदेश दिनांक 30 अगस्त 2012 के परिपेक्ष्य में उक्त अधिनियम की अनुसूची के शीर्ष "छ: गन्ना की अधीन मद 1 गन्ना" को विलोपित करने के लिये, ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये अपना प्रस्ताव प्रकाशित करती है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव पर इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से छ: सप्ताह के अवसान होने पर विचार किया जायेगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2013

क्र. डी-15-5-2003-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 14 फरवरी 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 14th February 2013

No. D-15-5-2003-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by the provision to Section 60 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of the year 1973), the State Government hereby, in persuance to the judgement passed by the Honrable Supreme Court in SLP (C) No. 19092/2006, dated 30th August 2012 publish its proposal to delete item to 1 "Sugarcane" under the heading "VI-Sugarcane" of the Schedule of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said proposal will be taken into consideration on the expiry of six weeks from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received by the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare & Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to the said draft before the expiry of period specified above will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K.TRIPATHI, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.